

संसदीय उत्पादकता में वृद्धि

प्रलिस के लिये:

[उपराष्ट्रपति](#), [राष्ट्रपति](#), [संसद की उत्पादकता](#), संसदीय बहस, स्थगन, [संसद में प्रस्ताव](#)।

मेन्स के लिये:

संसद की कार्य प्रणाली से संबंधित मुद्दे

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने संसद में बढ़ते व्यवधानों पर प्रकाश डाला तथा टकरावपूर्ण राजनीति से रचनात्मक चर्चा की ओर जाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

- उन्होंने राजनीतिक दलों से संसदीय शिष्टाचार को बनाए रखने, आम सहमत को बढ़ावा देने, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने और जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिये सार्थक संवाद को प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

भारत में संसद की कार्य प्रणाली में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **सदन में बार-बार व्यवधान:**
 - अक्सर वपिक्षी वरिधों के कारण होने वाले व्यवधानों से बहुमूल्य समय और संसाधनों की बर्बादी होती है तथा संसद के वधायी और प्रतनिधिकार्यों को नुकसान पहुँचता है।
 - इसके परिणामस्वरूप प्रमुख वधियक पर्याप्त चर्चा के बनि पारति कर दिये जाते हैं, जिससे वधायी बहस की गुणवत्ता और संसदीय कार्यवाही की प्रभावशीलता कम हो जाती है।
 - उदाहरण के लिये संसद के 2023 के शीतकालीन सत्र में महत्त्वपूर्ण व्यवधानों का सामना करना पड़ा, जिसमें संसदीय सुरक्षा में उल्लंघन जैसे मुद्दों से संबंधित वरिध प्रदर्शनों पर 141 वपिक्षी सांसदों को नलिंबति करना भी शामिल था।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण और प्रतकिल राजनीति:**
 - सरकार और वपिक्ष के बीच तीव्र ध्रुवीकरण ने वरिधी राजनीति को बढ़ावा दिया है, जिससे वधायी प्रगत अवरोध हो गई है।
 - यह वभिजनकारी दृष्टिकोण प्रभावी शासन के लिये आवश्यक सर्वसम्मति को कमज़ोर करता है।
- **सत्रों में भागीदारी का अभाव:**
 - 17वीं लोकसभा (2019-2024) के दौरान सभी सत्रों में औसत उपस्थिति 79% थी, लेकिन चर्चा में भागीदारी सीमति थी, जिसमें प्रत्येक संसद सदस्य ने औसतन 45 चर्चाओं में भाग लिया।
 - कुछ सत्रों में उपस्थिति किम देखी गई, जैसे कि वरिध 2021 का बजट सत्र, जिसमें मुख्य रूप से महामारी के प्रभाव के कारण 69% तक की गरिबट दर्ज की गई।
- **वधिकी खराब गुणवत्ता:**
 - वधिकी गुणवत्ता अक्सर अपर्याप्त बहस और जाँच के कारण प्रभावति होती है तथा कभी-कभी वधियक जल्दबाज़ी में पारति कर दिये जाते हैं, जिससे स्पष्टता और प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावति होता है।
 - सूचना का अधिकार (संशोधन) वधियक, 2019 को सूचना आयोग की स्वायत्तता को कमज़ोर करने तथा हतिधारकों के साथ अपर्याप्त परामर्श को दर्शाने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ा।
- **लैंगिक समानता का अभाव:**
 - 18 वीं लोकसभा में 74 महिलाएँ नरिवाचति हुईं, जो कुल सदस्यों का 13.6% थीं।
 - यह 17 वीं लोकसभा की तुलना में थोड़ी कम है, जहाँ महिलाएँ 14.4% सदस्य थीं।
 - इसके अतरिक्ति राज्यसभा में महिलाओं की हसिसेदारी 14.05% है।

- अप्रैल 2024 तक विश्व भर में संसद सदस्यों में महिलाओं की संख्या 26.9% है।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

संसद का समुचित संचालन सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

- **आचार संहिता:** संसद सदस्यों (MPs) के आचरण का मार्गदर्शन करने, शिष्टाचार को बढ़ावा देने, व्यवधान को कम करने तथा सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये एक आचार संहिता स्थापित की गई है।
- **प्रौद्योगिकी अपनाना:** संसद ने अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये प्रौद्योगिकी को अपनाया है।
 - भारत में संसदीय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग से सांसदों के बीच अधिक जवाबदेही और शिष्टाचार को बढ़ावा मिला है, क्योंकि वास्तविक समय के प्रसारण से सार्वजनिक जाँच बढ़ जाती है।
 - इससे उनका व्यवहार अधिक अनुशासित हुआ है तथा संसद सदस्यों को इस बात का अनुभव हो गया है कि उन पर नज़र रखी जा रही है।
 - इसके अतिरिक्त सांसदों के बीच बेहतर संचार के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तथा ऐप विकसित किये गए हैं।
- **समिति प्रथा:** संसद विधायकों, नीतियों और सरकारी पहलों को मुख्य सदन में पहुँचाने से पहले जाँचने के लिये एक मज़बूत समिति प्रथा का उपयोग करती है, जिससे विधायी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है।
 - इससे यह सुनिश्चित होता है कि विशेषज्ञों की राय एकिकृत हो, जिससे विधायी कार्यों की प्रभावशीलता और गुणवत्ता में सुधार हो।
- **अनुशासनात्मक कार्रवाई:**
 - सांसदों के व्यवधानकारी व्यवहार को अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से संबोधित किया जाता है। जो सांसद अनियंत्रित आचरण में संलग्न होते हैं, उन्हें सदन से निलंबन या निकासन का सामना करना पड़ सकता है।
 - यह उपाय जवाबदेही सुनिश्चित करता है और संसदीय प्रक्रिया को कमज़ोर करने वाले व्यवहार को हतोत्साहित करता है।

भारत में संसदीय कार्यप्रणाली की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है?

- **रचनात्मक परचिर्चा के प्रति प्रतिबद्धता:**
 - राजनीतिक दलों को रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये और बाधा उत्पन्न करने वाली रणनीतियों से दूर रहना चाहिये।
 - आम सहमति निर्माण को बढ़ावा देना चाहिये, जिसमें सरकार विपक्ष की चिंताओं का समाधान करे और विपक्ष संबंधी व्यवहार्य विकल्प प्रस्तुत करे।
 - यह दृष्टिकोण अधिक उत्पादक परचिर्चा सुनिश्चित करता है, तथा संसदीय कार्यवाही की समग्र प्रभावशीलता में योगदान देता है।
- **पीठासीन अधिकारी की भूमिका को सुदृढ़ करना:**
 - संसदीय कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिये सदन के अध्यक्ष/सभापति को व्यवधानों का त्वरित समाधान करने तथा संसदीय नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिये अधिक शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिये।
 - इससे शिष्टाचार बनाए रखने में सहायता मिलेगी, जिससे विधायी प्रक्रिया अनावश्यक रुकावटों के बगैर सुचारू रूप से आगे बढ़ सकेगी।
- **जवाबदेही संस्कृति को बढ़ावा देना:**
 - संसद में जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये राजनीतिक दलों को सांसदों की उपस्थिति, परचिर्चा में भागीदारी और मतदान रिकॉर्ड की निगरानी करके यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वे विधायी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें।
 - साथियों का दबाव, पार्टी अनुशासन और अनुकरणीय सांसदों के उदाहरणों का अनुसरण करने से सत्यनिष्ठा और रचनात्मक संवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को दृढ़ता मिलेगी।
 - इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम का लाभ उठाकर यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि सांसदों के कार्य और रिकॉर्ड जनता के लिये सुलभ हों, जिससे अधिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।
- **जन सहभागिता और पारदर्शिता:** संसद की कार्य-पद्धति के बारे में लोगों को अधिक जागरूक करने से संस्था में लोक न्याय का निर्माण हो सकता है।
 - बेहतर मीडिया कवरेज और नरिणय लेने में पारदर्शिता से अधिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
- **राजनीति में युवाओं की सहभागिता:** नैतिक आचरण और प्रभावी शासन को बढ़ावा देते हुए युवा नेताओं को सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये प्रोत्साहित करने से संसदीय कार्यवाही में नए दृष्टिकोण शामिल किये जा सकते हैं।

नबिर्क्ष

भारतीय संसद को निरंतर व्यवधान, अल्प सहभागिता और अप्रभावी विधान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि आचार संहिता को लागू करना, प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना, समिति प्रणालियों को सुदृढ़ करना और अनुशासनात्मक उपायों के कार्यान्वयन जैसे सुधार इन मुद्दों का समाधान करने हेतु महत्वपूर्ण हैं। अपने लोकतांत्रिक कार्य में सुधार लाने हेतु, संसद को पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये। इससे संसद द्वारा लोगों का प्रभावी प्रतिनिधित्व और प्रभावशाली, सार्वजनिक वधि निर्माण सुनिश्चित होगा।

दृष्टि भेन्स प्रश्न:

Q. संसद में अक्सर व्यवधान उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? नरिबाध बहस सुनिश्चित करने के लिये प्रक्रियाओं में कसि प्रकार सुधार किया जा सकता है?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी लोकसभा की अनन्य शक्तयिँ हैं? (2022)

1. आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना ।
2. मंत्रपरिषद के वरिद्ध अवशिवास प्रस्ताव पारति करना ।
3. भारत के राष्ट्रपतिपर महाभयिग चलाना ।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 3
- (d) केवल 3

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को नश्चिति करने में संसद कहाँ तक समर्थ है? (2021)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/enhancing-parliamentary-productivity>

